

:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना (म0प्र0) ::

क्रमांक 15 / एक / 11-1 / सां0 / 2024

गुना, दिनांक 05.04.2024

-:: आ दे श ::-

1. मैं, वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 7(2) व 15 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 194 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, पूर्व कार्य विभाजन आदेश व संशोधनों को निरस्त करते हुए, इस न्यायिक जिला स्थापना पर कार्यरत न्यायाधीशों एवं न्यायालयों के लिए निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ, जो दिनांक 06.04.2024 से अन्य आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा।

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना	संपूर्ण सत्र खण्ड गुना	1 सत्र प्रकरण।
			2 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी गुना/आरोन एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी गुना/आरोन के द्वारा पारित निर्णय/दण्डादेश व आदेश (जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो) के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण याचिकाएं।
			3 द0प्र0स0 की धारा 199(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			4 द0प्र0स0 की धारा 438 व 439 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन-पत्र, किंतु स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, विद्युत अधिनियम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधि0, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 (पॉक्सो) 2012, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 एवं व्यापम स्केम के प्रकरणों के जमानत आवेदन-पत्रों को छोड़कर।
			5 किशोर न्याय बोर्ड गुना के आदेश व निर्णय की अपीलें।
			6 सम्पूर्ण जिला गुना के बाल अधिकार आयोग अधिनियम 2005 के अधीन प्रस्तुत प्रकरण।
			7 द0प्र0सं0 की धारा 408 एवं 409 अन्तर्गत प्रकरणों के अंतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			8 मानव अधिकार अधिनियम के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले प्रकरण।
			9 विकलांगता अधिनियम 2016 से संबंधित समस्त प्रकरण।
			10 विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे आपराधिक मामले व आवेदन पत्र, जिन्हें विशेष/अपर सत्र न्यायाधीशों को आवंटित नहीं किये गये हैं, जो इस कार्यविभाजन आदेश में उल्लेखित से अन्यथा होकर सत्र न्यायाधीश के श्रवण क्षेत्राधिकार के योग्य हों।

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
		सिविल जिला गुना	11 राजस्व तहसील गुना एवं बमौरी क्षेत्र के मूलवाद जो कि 1,00,00,001 (एक करोड़ एक) से अधिक किसी भी मूल्यांकन तक के मय दिवालिया प्रकरण।
			12 संपूर्ण जिले के व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			13 समस्त व्यवहार न्यायाधीशवरिष्ठ खण्ड, कनिष्ठ खण्ड गुना/आरोन एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय गुना तथा प्रशिक्षु न्यायाधीशगण गुना द्वारा व्यवहार वादों में पारित निर्णय/जयपत्र के विरुद्ध नियमित अपील एवं आदेशों के विरुद्ध विविध अपील।
			14 विशेष विवाह अधिकारी द्वारा विशेष विवाह अधिनियम-1954 के अधीन वैवाहिक मामलों में पारित आदेशों के विरुद्ध धारा-8 के अंतर्गत अपील।
			15 राजस्व तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति संबंधी प्रकरण एवं धारा 165 (2) के संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तुत होने वाले क्लेम प्रकरण।
			16 समस्त व्यवहार जिला गुना के म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम-1961 की धारा 20 के अन्तर्गत चुनाव याचिका।
			17 तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्र के पेट्रोलियम एवं मिनरल्स पाईप लाईन अधिनियम-1962 के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण/आवेदन पत्र।
			18 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 20 (बी) के अंतर्गत सिविल जिला गुना की स्थानीय सीमाओं के अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तुत प्रकरण।
			19 म0प्र0 न्यास अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण।
			20 भारतीय ट्रेडमार्क एवं ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण।
			21 तहसील गुना एवं बमौरी के किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 व मानसिक स्वास्थ्य अधि0, 1987 के तहत प्रकरण।
			22 केन्द्रीय शासन के अधिनियम एवं अन्य समस्त स्पेशल तथा लोकल लॉज के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण एवं आवेदन पत्र, जिन्हें जिला न्यायाधीशों को आवंटित नहीं किये गये हैं, जो इस कार्यविभाजन आदेश में उल्लेखित से अन्यथा होकर प्रधान जिला न्यायाधीश के श्रवण क्षेत्राधिकार के योग्य हों।
			23 सरल क्रमांक-1 लगायत 22 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
2.	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) गुना	संपूर्ण सत्र खण्ड गुना	1 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			2 संपूर्ण गुना जिले के अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के अन्तर्गत (पॉक्सो एक्ट रहित) प्रस्तुत विशेष सत्र प्रकरण।
			3 संपूर्ण गुना जिले के अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के धारा 438 व 439 द०प्र०सं० के अधीन (पॉक्सो एक्ट रहित) प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्रों सहित अनुषांगिक कार्यवाहियां।
		सिविल जिला गुना	4 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			5 सरल क्रमांक-1 लगायत 4 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
3.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गुना	संपूर्ण सत्र खण्ड गुना	1 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			2 संपूर्ण गुना जिले के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			3 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट 1952, की धारा 7(2) के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आप० प्रकरण।
			4 जिला मुख्यालय पर पूर्व में कार्यरत ऐसे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कनिष्ठ खण्ड एवं प्रशिक्षु न्यायाधीश, जिनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा व्यवहार वादों में पारित निर्णय/जयपत्र के विरुद्ध अपील व आदेशों के विरुद्ध विविध अपील।
			5 तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन के कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 (No. 4 of 2016) से संबंधित 01/- (एक रूपये) से लेकर 3,00,000/- (तीन लाख रूपये) के मूल्यांकन तक के समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण।
			6 तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्र के (कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 No. 4 of 2016 को छोड़कर) आर्बिट्रेशन संबंधी प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण।
			7 मुख्यालय पर पदस्थ ऐसे जिला न्यायाधीश जिन्हें सिविल कार्य आवंटित नहीं किया गया है, उनके द्वारा पूर्व में निराकृत समस्त सिविल/क्लेम प्रकरणों एवं अपील न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			8 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			9 सरल क्रमांक 1 लगायत 8 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
4.	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गुना	सत्र खण्ड गुना	1 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आप0 पुनरीक्षण, विविध आप0 प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			2 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट 1952 की धारा 7(2)के अन्तर्गत शासन/सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आपराधिक प्रकरण।
			3 थाना सिरसी एवं फतेहगढ़ से उत्पन्न मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के विविध प्रकरण।
			4 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			5 सरल क्रमांक 1 लगायत 4 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
5.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गुना	सत्र खण्ड गुना	1 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, आप0 अपील प्रकरण, पुनरीक्षण, विविध आप0 प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			2 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां।
			3 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के धारा 438 व 439 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र।
			4 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र।
			5 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट 1952 की धारा 7(2)के अन्तर्गत शासन/सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आपराधिक प्रकरण।
			6 राजस्व तहसील गुना, बमौरी, आरोन क्षेत्र के भू-अर्जन एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापन अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।
			7 राजस्व तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन के भारतीय उत्तराधिकार अधि0 के अंतर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोबेट एक रूपये से लेकर किसी भी मूल्यांकन तक के प्रकरण।
			8 थाना गुना, कैट एवं म्याना से उत्पन्न मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के विविध प्रकरण।
			9 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			10 सरल क्रमांक 1 लगायत 9 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
		सिविल जिला गुना	

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
6.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गुना	सत्र खण्ड गुना	1 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, आप0 अपील प्रकरण, पुनरीक्षण, विविध आप0 प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			2 तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्र के रेप, गैंग-रेप, रेप विथ मर्डर के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं धारा 438, 439 द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र।
			3 तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्र के महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित समस्त सत्र प्रकरण एवं धारा 438, 439 द0प्र0सं0 के अधीन प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र।
			4 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट 1952 की धारा 7(2)के अन्तर्गत शासन/सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आपराधिक प्रकरण।
		सिविल जिला गुना	5 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			6 सरल क्रमांक 1 लगायत 5 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
7.	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गुना	सत्र खण्ड गुना	1 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, आप0 अपील प्रकरण, पुनरीक्षण, विविध आप0 प्रकरण एवं जमानत आवेदन।
			2 तहसील गुना, बमौरी, आरोन एवं सम्पूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण व धारा 437, 438, 439 के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र।
			3 तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्र से उत्पन्न म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 से संबंधित प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां।
			4 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट 1952, की धारा 7(2) के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आप0 प्रकरण।
		सिविल जिला गुना	5 मुख्यालय पर पूर्व में पदस्थ ऐसे अपर सत्र न्यायाधीश जिनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा तथा तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश चांचौड़ा के द्वारा श्रृंखला न्यायालय गुना के दौरान मुख्यालय गुना क्षेत्र के निराकृत समस्त आपराधिक मामलों एवं अपील न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			6 थाना धरनावदा (गुना क्षेत्र) एवं बमोरी से उत्पन्न मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के विविध प्रकरण।
			7 मुख्यालय पर पूर्व में पदस्थ ऐसे जिला न्यायाधीश जिनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा तथा तत्कालीन जिला न्यायाधीश चांचौड़ा के द्वारा श्रृंखला न्यायालय गुना के दौरान मुख्यालय गुना क्षेत्र के निराकृत समस्त सिविल/क्लेम प्रकरणों तथा अपील न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
			<p>8 माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के द्वारा सिविल अपील नं0-9322/2022 गौहर मोहम्मद विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य रोड़ ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 में उल्लेखित निर्देशों के अनुक्रम में जिला मुख्यालय गुना क्षेत्र से संबंधित पुलिस कोतवाली गुना, पुलिस आरक्षी केन्द्र केन्ट, म्याना, बमौरी, फतेहगढ़, सिरसी, आरोन, बजरंगगढ़ एवं धरनावदा (गुना क्षेत्र) की ओर से प्रस्तुत प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (First Accident Report), विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (Detailed Accident Report) एवं अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (Interim Accident Report)।</p> <p>9 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>10 सरल क्रमांक 1 लगायत 9 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p>
8.	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गुना	सत्र खण्ड गुना	<p>1 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए सत्र प्रकरण, आप0 अपील प्रकरण, पुनरीक्षण, विविध प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>2 चिन्हित, जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध से संबंधित प्रकरण (विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामलों को छोड़कर)।</p> <p>3 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट 1952, की धारा 7(2) के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आप0 प्रकरण।</p> <p>4 तहसील आरोन के मूलवाद जो कि, 1,00,00,001/-रु0 (एक करोड़ एक) से अधिक किसी भी मूल्यांकन तक के मय दिवालिया प्रकरण।</p> <p>5 तहसील आरोन में पूर्व में कार्यरत ऐसे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड, जिनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा व्यवहार वादों में पारित निर्णय/जयपत्र के विरुद्ध अपील व आदेशों के विरुद्ध विविध अपील।</p> <p>6 तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन के लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत 501/-रुपये से 1500/- रुपये तक के प्रकरण।</p> <p>7 म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश की अपील।</p> <p>8 नगरपालिका विधान के अंतर्गत 501/-रुपये से 1000/-रुपये तक के प्रकरण।</p> <p>9 तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन के गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट 1890 के अंतर्गत हिन्दू मायोनिरिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अंतर्गत तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्र के प्रकरण, जिनकी क्षेत्राधिकारिता प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय गुना, जिला न्यायाधीश राघौगढ़ एवं चांचौड़ा को नहीं है।</p>

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
			10 तहसील आरोन क्षेत्र के किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय प्रकरण।
			11 थाना आरोन, एवं बजरंगगढ़ से उत्पन्न मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के विविध प्रकरण।
			12 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			13 स0क्रं0-1 से 12 के क्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
9.	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गुना	सत्र खण्ड गुना	1 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए सत्र प्रकरण, आप0 अपील प्रकरण, पुनरीक्षण, विविध प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			2 तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्र के लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे संबंधित धारा 438, 439 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जमानत आवेदनों सहित अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां।
			3 संपूर्ण गुना जिले के लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनमें अनु0जाति/अनु0जनजाति अत्याचार निवारण अधि0 का अपराध सम्मिलित हो एवं उनसे संबंधित धारा 438, 439 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जमानत आवेदनों सहित अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां।
			4 तहसील गुना, बमौरी एवं आरोन क्षेत्र के बालक न्यायालय से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित धारा 438, 439 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र।
			4 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट 1952, की धारा 7(2) के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आप0 प्रकरण।
		सिविल जिला गुना	5 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			7 सरल क्रमांक 1 लगायत 5 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
10.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राघौगढ़ जिला गुना (म0प्र0)	सत्र खण्ड राघौगढ़	1 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए सत्र प्रकरण, आप0 अपील प्रकरण, पुनरीक्षण, विविध प्रकरण एवं सुनवाई योग्य जमानत आवेदन।
			2 पुलिस आरक्षी केन्द्र जामनेर एवं मधुसूदनगढ़ से उत्पन्न सत्र प्रकरण एवं धारा 438 व 439 द.प्र.सं. के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र।
			3 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र से उत्पन्न रेप, गैंग-रेप, रेप विथ मर्डर सहित महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं धारा 438, 439 द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र।

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
			4 प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघौगढ़ के द्वारा पारित निर्णय/दण्डादेश व आदेश (जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो) के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण याचिकाएं।
			5 प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघौगढ़ एवं तत्कालीन पदस्थ ऐसे मजिस्ट्रेट, जिनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा अल्प मात्रा वाले स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामलों में पारित निर्णय/आदेशों के विरुद्ध अपील एवं पुनरीक्षण याचिकाएं।
			6 तत्कालीन पदस्थ ऐसे मजिस्ट्रेट, जिनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा पारित निर्णय/दण्डादेश व आदेश (जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो) के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण याचिकाएं।
			7 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि0-2000 से संबंधित प्रकरण, अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां।
			8 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट 1952, की धारा 7(2) के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आप0 प्रकरण।
			9 पूर्व में कार्यरत अपर सत्र न्यायाधीश राघौगढ़ की श्रृंखला न्यायालय के द्वारा निराकृत समस्त आपराधिक प्रकरणों एवं अपील न्यायालयों प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
		सिविल क्षेत्र राघौगढ़	10 प्रथम अति0 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राघौगढ़ एवं तत्कालीन पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राघौगढ़, के द्वारा व्यवहार वादों में पारित निर्णय/जयपत्र के विरुद्ध अपील व आदेशों के विरुद्ध विविध अपील।
			11 पुलिस आरक्षी केन्द्र जामनेर एवं मधुसूदनगढ़ से उत्पन्न मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के प्रकरण एवं धारा 165 (2) के संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तुत क्लेम प्रकरण तथा विविध प्रकरण।
			12 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के भारतीय उत्तराधिकार अधि0 के अंतर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोबेट एक रूप से किसी भी मूल्यांकन तक के प्रकरण।
			13 सम्पूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के भू-अर्जन एवं भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास एवं पुनः स्थापन अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।
			14 सम्पूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के पेट्रोलियम एवं मिनरल्स पाईप लाईन अधिनियम-1962 के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण/आवेदन पत्र।

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
			15 म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधि0 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील।
			16 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत 501/-(पांच सौ एक) रुपये से 1500/-(पंद्रह सौ) रुपये तक के प्रकरण।
			17 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के नगरपालिका विधान के अंतर्गत 501/- रुपये से अधिक मूल्यांकन तक के प्रकरण।
			18 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के किशोर न्याय अधिनियम की धारा-41 एवं मानसिक स्वास्थ्य अधि0 1987 के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय प्रकरण।
			19 माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के द्वारा सिविल अपील नं0-9322/2022 गौहर मोहम्मद विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन व अन्य आदेश दि0-15.12.2022 में उल्लेखित निर्देशों के अनुक्रम में तहसील राघौगढ़ क्षेत्र से संबंधित पुलिस आरक्षी केन्द्र राघौगढ़, मधुसूदनगढ़, जामनेर, विजयपुर एवं धरनावदा (राघौगढ़ क्षेत्र) की ओर से प्रस्तुत प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (First Accident Report), विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (Detailed Accident Report) एवं अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट (Interim Accident Report)।
			20 पूर्व में कार्यरत जिला न्यायाधीश राघौगढ़ की श्रृंखला न्यायालय द्वारा निराकृत समस्त सिविल/क्लेम प्रकरणों एवं अपील न्यायालयों प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			21 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			22 सरल क्रमांक 1 लगायत 21 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
11.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राघौगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिला गुना (म0प्र0)	सत्र खण्ड राघौगढ़	1 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए सत्र प्रकरण, आप0 अपील प्रकरण, पुनरीक्षण, विविध प्रकरण एवं सुनवाई योग्य जमानत आवेदन।
			2 पुलिस आरक्षी केन्द्र राघौगढ़, विजयपुर एवं धरनावदा (राघौगढ़ क्षेत्र) से उत्पन्न सत्र प्रकरण एवं धारा 438 व 439 द.प्र.सं. के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र।
			3 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधि0 2012 (पॉक्सो एक्ट) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे संबंधित धारा 438, 439 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र सहित अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां।
			4 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के बालक न्यायालय से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित प्रतिभूति आवेदन पत्र।

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
		सिविल क्षेत्र राघौगढ़	5 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघौगढ़ एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी राघौगढ़ के द्वारा पारित निर्णय/दण्डादेश व आदेश (जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो) के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण याचिकाएं।
			6 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघौगढ़ केद्वारा अल्प मात्रा वाले स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामलों में पारित निर्णय/आदेशों के विरुद्ध अपील एवं पुनरीक्षण याचिकाएं।
			7 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट 1952, की धारा 7(2) के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आप0 प्रकरण।
			8 संपूर्ण तहसील राघौगढ़ के मूलवाद, जो कि 1,00,00,001 (एक करोड़ एक) रुपये से अधिक मूल्यांकन के मय दिवालिया प्रकरण।
			9 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राघौगढ़ के द्वारा व्यवहारवादों में पारित निर्णय/जयपत्र के विरुद्ध नियमित अपील व आदेशों के विरुद्ध विविध अपील।
			10 पुलिस आरक्षी केन्द्र राघौगढ़, विजयपुर एवं धरनावदा (राघौगढ़ क्षेत्र) से उत्पन्न मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के प्रकरण एवं धारा 165 (2) के संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तुत क्लेम प्रकरण तथा विविध प्रकरण।
			11 सम्पूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के कुटुम्ब न्यायालय के सुनवाई योग्य प्रकरण।
			12 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 (No. 4 of 2016) से संबंधित 01/- (एक रुपये) से लेकर 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) के मूल्यांकन तक के समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण।
			13 संपूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के (कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 No. 4 of 2016 को छोड़कर) आर्बिट्रेशन संबंधी प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण।
			14 गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट 1890 के अंतर्गत हिन्दू मायोनिरिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अंतर्गत सम्पूर्ण राघौगढ़ क्षेत्र के प्रकरण, जिनकी क्षेत्राधिकारिता प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय गुना एवं जिला न्यायाधीश चांचौड़ा को नहीं है।
			15 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			16 सरल क्रमांक 1 लगायत 15 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
			13 तत्कालीन जिला न्यायाधीश चांचौड़ा के द्वारा श्रृंखला न्यायालय गुना के दौरान तहसील चांचौड़ा एवं कुम्भराज क्षेत्र के निराकृत सिविल/क्लेम प्रकरणों में समस्त प्रकार की कार्यवाही तथा अपील न्यायालयों प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			14 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			15 सरल क्रमांक 1 लगायत 14 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
13.	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चांचौड़ा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जिला गुना (म0प्र0)	सत्र खण्ड चांचौड़ा	1 सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किए गए सत्र प्रकरण, आप0 अपील, पुनरीक्षण, विविध प्रकरण एवं जमानत आवेदन।
			2 पुलिस आरक्षी केन्द्र चांचौड़ा के सत्र प्रकरण एवं धारा 438 व 439 द.प्र.सं. के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र।
			3 पुलिस आरक्षी केन्द्र चांचौड़ा, कुंभराज एवं मृगवास से उत्पन्न रेप, गैंग-रेप, रेप विथ मर्डर के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं धारा 438, 439 द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र।
			4 पुलिस आरक्षी केन्द्र चांचौड़ा, कुंभराज एवं मृगवास से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित समस्त सत्र प्रकरण एवं धारा 438, 439 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र।
			5 पुलिस आरक्षी केन्द्र चांचौड़ा, कुंभराज एवं मृगवास से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के अंतर्गत प्रकरण एवं उनसे संबंधित धारा 438, 439 द0प्र0सं0 के अंतर्गत जमानत आवेदनपत्र सहित अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां।
			6 पुलिस थाना चांचौड़ा, कुंभराज एवं मृगवास से उत्पन्न बालक न्यायालय से संबंधित प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र।
			7 अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांचौड़ा एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय चांचौड़ा तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी चांचौड़ा द्वारा पारित निर्णय/दण्डादेश व आदेश (जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो) के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण याचिकाएं।
			8 वर्तमान पदस्थ समस्त मजिस्ट्रेट एवं तत्कालीन पदस्थ ऐसे मजिस्ट्रेट, जिनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, द्वारा अल्प मात्रा वाले स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामलों में पारित निर्णय/आदेशों के विरुद्ध अपील एवं पुनरीक्षण याचिकाएं।

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
		सिविल क्षेत्र चाँचौड़ा	9 तत्कालीन पदस्थ ऐसे मजिस्ट्रेट, जिनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा पारित निर्णय/दण्डादेश व आदेश (जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो) के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण याचिकाएं।
			10 क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेन्ट एक्ट 1952, की धारा 7(2) के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये विशेष आप0 प्रकरण।
			11 अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा व्यवहारवादों में पारित निर्णय/जयपत्र के विरुद्ध अपील व आदेशों के विरुद्ध विविध अपील।
			12 तत्कालीन पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ चाँचौड़ा, जिनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा व्यवहारवादों में पारित निर्णय/ जयपत्र के विरुद्ध अपील व आदेशों के विरुद्ध विविध अपील।
			13 वर्तमान एवं तत्कालीन पदस्थ ग्राम न्यायाधिकारी चाँचौड़ा केद्वारा सिविल प्रकरणों में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील एवं आदेशों के विरुद्ध विविध अपील।
			14 पुलिस आरक्षी केन्द्र चाँचौड़ा से उत्पन्न मोटर दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के प्रकरण एवं धारा 165 (2) के संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तुत क्लेम प्रकरण तथा विविध प्रकरण।
			15 तहसील चाँचौड़ा एवं कुम्भराज क्षेत्र के कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 (No. 4 of 2016) से संबंधित 01/- (एक रुपये) से लेकर 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) के मूल्यांकन तक के समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण।
			16 तहसील चाँचौड़ा एवं कुम्भराज क्षेत्र के (कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 No. 4 of 2016 को छोड़कर) आर्बिट्रेशन संबंधी प्रकरण एवं प्रवर्तन प्रकरण।
			17 भारतीय उत्तराधिकार अधि0 के अंतर्गत लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोबेट एक रुपये से किसी भी मूल्यांकन तक के प्रकरण।
			18 तहसील चाँचौड़ा एवं कुम्भराज क्षेत्र के पेट्रोलियम एवं मिनरल्स पाईप लाईन अधिनियम-1962 के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण/आवेदन पत्र।
			19 तहसील चाँचौड़ा एवं कुम्भराज क्षेत्र के भू-अर्जन एवं भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास एवं पुनः स्थापन अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण।
		20 लघुवाद अधिनियम के 501/- रू0 से 1000/- रू0 तक के प्रकरण।	
		21 म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधि0 1961 के अंतर्गतभाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील।	

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
			<p>22 गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट 1890 के अंतर्गत हिन्दू मायोनिरिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अंतर्गत सम्पूर्ण तहसील राघौगढ़ क्षेत्र के प्रकरण, जिनकी क्षेत्राधिकारिता प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय गुना एवं जिला न्यायाधीश राघौगढ़ को नहीं है।</p> <p>23 तहसील चाँचौड़ा, कुम्भराज के नगरपालिका विधान के अधीन 501/-रु0 से अधिक मूल्यांकन तक के प्रकरण।</p> <p>24 तहसील चाँचौड़ा व कुम्भराज क्षेत्र के किशोर न्याय अधि0 की धारा 41 एवं मानसिक स्वास्थ्य अधि0-1987 के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय प्रकरण।</p> <p>25 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>26 सरल क्रमांक 1 लगायत 25 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p>
14.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	<p>1 व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन 75,00,001/-रुपये (पिचहत्तर लाख एक) से 1,00,00,000 रूपये (एक करोड़) तक हो।</p> <p>2 तहसील गुना एवं बमौरी क्षेत्र के 1,00,00,000 रूपये (एक करोड़) रूपये तक के मूल्यांकन के दिवालिया प्रकरण।</p> <p>3 म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें।</p> <p>4 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।</p> <p>5 पूर्व में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीशगण के द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रकरणों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बावत् पारित आदेशों से संबंधित विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां।</p> <p>6 लघुवाद अधिनियम के अधीन 500/-रुपये तक के प्रकरण।</p> <p>7 लोकोपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय से उत्पन्न निष्पादन कार्यवाही।</p> <p>8 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>9 सरल क्रमांक 1 लगायत 8 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p>
15.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	<p>1 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>2 सरल क्रमांक 1 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p>

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप	
16.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 50,00,001/-रूपये (पचास लाख एक) से लेकर 750,00,00/- (पिचहत्तर लाख) रूपये तक हो।
			2	ग्राम न्यायाधिकारी जनपद पंचायत गुना के द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से उत्पन्न सिविल प्रकरण।
			3	मुख्यालय पर पूर्व में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जिनके न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, के द्वारा तथा तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड आरोन के द्वारा श्रृंखला न्यायालय गुना के दौरान मुख्यालय गुना क्षेत्र के निराकृत समस्त सिविल प्रकरणों तथा अपील न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			5	स0क्रं0-1 से 4 के क्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
17.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			2	स0 क्रं0-1 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध, निष्पादन प्रकरण।
18.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 25,00,001/- रूपये (पच्चीस लाख एक) से लेकर 50,00,000/- (पचास लाख) रूपये तक हो।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			3	स0क्रं0-1 से 2 के क्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
19.	प्रथम अतिव्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 15,00,001/- रूपये (पन्द्रह लाख एक) से लेकर 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रूपये तक हो।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			3	स0क्रं0-1 से 2 के क्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
20.	द्वितीय अतिव्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- रूपये (पांच लाख एक) से लेकर 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रूपये तक हो।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			3	स0क्रं0-1 से 2 के क्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
21.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1	माह मई-जून एवं जुलाई की अवधि में प्रस्तुत व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 01/-रूपये (एक रूपये) से लेकर 1,00,000/-रूपये (एक लाख रूपये) तक हो।

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
			2 व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 1,00,001/- (एक लाख एक रुपये) से 2,00,000/- (दो लाख रुपये) तक हो।
			3 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			4 स0क्र0-1 से 3 के क्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
22.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1 माह अगस्त एवं सितम्बर की अवधि में प्रस्तुत व्यवहारवाद, जिनका मूल्यांकन 01/-रुपये (एक रुपये) से लेकर 1,00,000/-रुपये (एक लाख रुपये) तक हो।
			2 व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 2,00,001/- (दो लाख एक रुपये) से 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) तक हो।
			3 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			4 स0क्र0-1 से 3 के क्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
23.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1 माह अक्टूबर एवं नवम्बर की अवधि में प्रस्तुत व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 01/-रुपये (एक रुपये) से लेकर 1,00,000/-रुपये (एक लाख रुपये) तक हो।
			2 व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 3,00,001/- (तीन लाख एक रुपये) से 4,00,000/- (चार लाख रुपये) तक हो।
			3 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			4 स0क्र0-1 से 3 के क्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
24.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1 माह फरवरी, मार्च एवं अप्रैल की अवधि में प्रस्तुत व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 01/-रुपये (एक रुपये) से लेकर 1,00,000/-रुपये (एक लाख रुपये) तक हो।
			2 पूर्व में कार्यरत एवं वर्तमान में रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना व प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना के न्यायालयों के द्वारा निराकृत समस्त सिविल प्रकरणों तथा अपील न्यायालयों प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			3 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			4 स0क्र0-1 से 3 के क्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
26.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गुना (म0प्र0)	तहसील गुना एवं बमौरी	1 माह दिसम्बर एवं जनवरी की अवधि में प्रस्तुत व्यवहारवाद, जिनका मूल्यांकन 01/-रुपये (एक रुपये) से लेकर 1,00,000/-रुपये (एक लाख रुपये) तक हो।
			2 व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 4,00,001/- (चार लाख एक रुपये) से 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) तक हो।

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
			3 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			4 स0क्रं0-1 से 3 के क्रम में उत्पन्न विविध, निष्पादन प्रकरण।
नोट :-उपरोक्त पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना में से किसी न्यायाधीश के स्थानांतरित/न्यायालय रिक्त होने पर उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले एक लाख रुपये के मूल्यांकन तक के व्यवहार प्रकरण अगले माह के क्रम पर आने वाले न्यायालय में प्रस्तुत होंगे और संबंधित न्यायाधीश उन प्रकरणों का निराकरण करेंगे।			
27.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आरोन जिला गुना (म0प्र0)	तहसील आरोन	1 व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,001(पांच लाख एक) से लेकर 1,00,000,00 (एक करोड़) तक हो। 2 तहसील आरोन के 1,00,000,00 (एक करोड़) रुपये तक के मूल्यांकन के दिवालिया प्रकरण। 3 लघुवाद अधि0 के अंतर्गत 500/- रु. तक के प्रकरण। 4 म0प्र0 नगर पालिका विधान के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 5 मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 6 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण। 7 पूर्व में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड आरोन कैम्प गुना के द्वारा आरोन क्षेत्र के पूर्व में निराकृत समस्त सिविल प्रकरणों एवं अपील न्यायालयों प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां। 8 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण। 9 सरल क्रमांक 1 लगायत 8 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
28.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आरोन जिला गुना (म0प्र0)	तहसील आरोन	1 व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 01/- (एक रुपये) से लेकर 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) तक हो। 2 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण। 3 स0क्रं0-1 से 2 के क्रम में उत्पन्न विविध, निष्पादन प्रकरण।
29.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, राघौगढ़ जिला गुना (म0प्र0)	सिविल क्षेत्र राघौगढ़	1 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण। 2 स0क्रं0-1 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
30.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, राघौगढ़ जिला गुना (म0प्र0)	तहसील राघौगढ़ एवं मधुसूदनगढ़	1 तहसील राघौगढ़ एवं मधुसूदनगढ़ के व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- (पांच लाख एक) रुपये से लेकर 1,000,00,00 (एक करोड़) रुपये तक हो। 2 तहसील राघौगढ़ एवं मधुसूदनगढ़ के 1,00,000,00 (एक करोड़) रुपये तक के मूल्यांकन के दिवालिया प्रकरण।

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
			3 लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत 500 रु0 तक के प्रकरण।
			4 म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			5 मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
			6 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन/ प्रकरण।
			7 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त सिविल प्रकरणों एवं अपील न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			8 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			9 स0क्रं0-1 से 8 के क्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
31.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, राघौगढ़ जिला गुना (म0प्र0)	सिविल क्षेत्र राघौगढ़	1 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			2 स0क्रं0-1 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
32.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, राघौगढ़ जिला गुना (म0प्र0)	तहसील राघौगढ़ एवं मधुसूदनगढ़	1 माह जनवरी से जून की अवधि में प्रस्तुत व्यवहारवाद, जिनका मूल्यांकन 01/-रूपये (एक रूपये) से लेकर 1,00,000/-रूपये (एक लाख रूपये) तक हो।
			2 व्यवहार वाद, जिनका मूल्यांकन 1,00,001/- (एक लाख एक रूपये) से लेकर 3,00,000/- (तीन लाख रूपये) तक हो।
			3 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			4 स0क्रं0-1 से 3 के क्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
33.	प्रथम अति0 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, राघौगढ़ जिला गुना (म0प्र0)	तहसील राघौगढ़ एवं मधुसूदनगढ़	1 माह जुलाई से दिसम्बर की अवधि में प्रस्तुत व्यवहारवाद, जिनका मूल्यांकन 01/-रूपये (एक रूपये) से लेकर 1,00,000/-रूपये (एक लाख रूपये) तक हो।
			2 व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 1,00,001/- (एक लाख एक रूपये) से लेकर 2,00,000/- (दो लाख रूपये) तक हो।
			3 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राघौगढ़ के रिक्त न्यायालय से संबंधित प्रस्तुत समस्त सिविल प्रकरणों एवं अपील न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			4 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			5 सरल क्रमांक 1 लगायत 4 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
नोट :-उपरोक्त पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राघौगढ़ में से किसी न्यायाधीश के स्थानांतरित/न्यायालय रिक्त होने पर उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले एक लाख रूपये के मूल्यांकन तक के व्यवहार प्रकरण अगले माह के क्रम पर आने वाले न्यायालय में प्रस्तुत होंगे और संबंधित न्यायाधीश उन प्रकरणों का निराकरण करेंगे।			

स. क्र.	न्यायाधीश	न्यायिक क्षेत्राधिकारिता	प्रकरणों का प्रकार/स्वरूप
34.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, चॉचौड़ा जिला गुना (म0प्र0)	सिविल क्षेत्र चॉचौड़ा	1 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			2 स0क्रं0-1 से 2 के क्रम में उत्पन्न विविध, निष्पादन प्रकरण।
35.	अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, चॉचौड़ा जिला गुना (म0प्र0)	तहसील चॉचौड़ा, कुम्भराज	1 तहसील चॉचौड़ा व कुम्भराज क्षेत्र के व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- (पांच लाख एक) रुपये से लेकर 1,000,00,00 (एक करोड़) रुपये तक हो।
			2 तहसील चॉचौड़ा व कुम्भराज क्षेत्र के 1,00,000,00 (एक करोड़) रुपये तक के मूल्यांकन के दिवालिया प्रकरण।
			3 ग्राम न्यायालय चॉचौड़ा के ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से उत्पन्न सिविल प्रकरण।
			4 मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			5 लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत 500/-रुपये तक के प्रस्तुत प्रकरण।
			6 म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			7 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन/प्रकरण।
			8 पूर्व में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड चॉचौड़ा, जिनका न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, के न्यायालयों के समस्त सिविल प्रकरणों एवं अपील न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों में विधि अनुसार कार्यवाहियां।
			9 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			10 सरल क्रमांक 1 लगायत 9 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।।
36.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, चॉचौड़ा गुना (म0प्र0)	तहसील चॉचौड़ा,	1 तहसील चॉचौड़ा क्षेत्र के व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 01/-रुपये (एक रुपये) से लेकर 5,00,000/-रुपये (पांच लाख) तक हो।
			2 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			3 स0क्रं0-1 से 2 के क्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
37.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, चॉचौड़ा गुना (म0प्र0)	तहसील कुम्भराज	1 तहसील कुम्भराज क्षेत्र के व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 01/-रुपये (एक रुपये) से लेकर 5,00,000/-रुपये (पांच लाख) तक हो।
			2 प्रधान जिला न्यायाधीश गुना द्वारा अन्य सभी प्रकार के सुनवाई हेतु समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरण।
			3 सरल क्रमांक 1 लगायत 2 के अनुक्रम में उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।

निर्देश :-

- 1- जो सत्रवाद जिस न्यायालय में लम्बित हैं, उनके प्रतिभूति आवेदन पत्र उसी पीठासीन न्यायाधीश के न्यायालय में सीधे प्रस्तुत होंगे।
- 2- माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रं0-C/2262 दिनांक 14.09.2020 एवं मेमो नं0-C/1654/III-6-89 दिनांक 18.04.2022 के संदर्भ में विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0एक्ट) गुना का स्थानांतरण होने/न्यायालय रिक्त होने/अवकाश पर रहने की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामलों में प्रस्तुत आवश्यक प्रकृति के आवेदनों की सुनवाई की जाएगी।
- 3- माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रं0-C/2264 दिनांक 14.09.2020 एवं मेमो नं0-C/1654/III-6-89 दिनांक 18.04.2022 के संदर्भ में विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट) गुना का स्थानांतरण होने/न्यायालय रिक्त होने/अवकाश पर रहने की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अथवा वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के उपलब्ध न होने की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना द्वारा एस.सी./एस.टी. एक्ट के मामलों में प्रस्तुत आवश्यक प्रकृति के आवेदनों की सुनवाई की जाएगी।
- 4- तहसील राघौगढ़ एवं चांचौड़ा के मजिस्ट्रेट न्यायालयों के ऐसे मामले, जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, वे मामले सत्र न्यायालय गुना की ओर उपार्पित न होकर, आदेश में वर्णित पुलिस थाना क्षेत्राधिकार के अनुसार तहसील स्तर पर संबंधित अपर सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों को सीधे उपार्पित होंगे तथा उन सत्र मामलों के पंजीयन के साथ-साथ प्रस्तुत अपील, निगरानी एवं विविध आप0 मामलों के पंजीयन की कार्यवाही भी संबंधित अपर सत्र न्यायालयों के द्वारा की जाकर उनका विधिवत विचारण किया जाएगा।
- 5- विशेष मामलों हेतु अधिसूचित विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले, जिनमें आई0पी0सी0 की धारा सम्मिलित हो, सहित विशेष मामलों में रिमाण्ड/अभियोग पत्र मुख्यालय स्थित संबंधित (अधिसूचित) विशेष न्यायाधीशों तथा तहसील स्थित संबंधित अपर सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों में प्रस्तुत होंगे।
- 6- प्रधान जिला न्यायाधीश गुना के अवकाशकाल/अनुपस्थिति की दशा में उनके न्यायालय का आवश्यक सिविल कार्य क्रमशः तृतीय/षष्ठम/चतुर्थ/पंचम/प्रथम/द्वितीय/जिला न्यायाधीश गुना के द्वारा सम्पादित किया जाएगा।
- 7- चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गुना के अवकाशकाल/अनुपस्थिति की दशा में उनके न्यायालय का आवश्यक सिविल कार्य क्रमशः षष्ठम/तृतीय/पंचम/द्वितीय/प्रथम जिला न्यायाधीश गुना के द्वारा सम्पादित किया जाएगा।
- 8- प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय गुना के अवकाश पर जाने/स्थानान्तरित होने की दशा में उनके न्यायालय का आवश्यक प्रभार क्रमशः विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), षष्ठम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम सप्तम/प्रथम/द्वितीय जिला न्यायाधीश गुना पर रहेगा।
- 9- न्यायाधीश के अवकाश/अनुपस्थिति की दशा में अवकाश प्रभार अनुसार संबंधित न्यायाधीश द्वारा सी0सी0डी0/क्लेम की राशि का भुगतान कराया जाएगा।
- 10- ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश के समय सिविल कोर्ट एक्ट 1958 की धारा 21(4) के अंतर्गत अत्यावश्यक स्वरूप के व्यवहार प्रकरण उसी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन्हें कार्य विभाजन पत्रक अनुसार क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में कार्य विभाजन पत्रक अनुसार प्रभार रखने वाले न्यायाधीश द्वारा उन प्रकरणों में विधि अनुसार सुनवाई की जाएगी, इसके लिए प्रधान जिला जज की विशेष अनुमति आवश्यक नहीं होगी।
- 11- अवकाश प्रभार में उल्लेखित किन्हीं न्यायाधीश के स्थानांतरण की दशा में उनके स्थान पर स्थानांतरित होकर आने वाले न्यायाधीश के लिए, जब तक कि अन्य सक्षम आदेश पारित न हो, अवकाश प्रभार संबंधी आदेश यथावत क्रियाशील माना जाएगा।
- 12- यह कार्य विभाजन आदेश पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेशों के अधिक्रमण में होकर लम्बित प्रकरणों के संबंध में भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखेगा।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गुना (म0प्र0)

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, म०प्र० उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की ओर माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय, (जिला गुना) म०प्र० उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु सादर प्रेषित।
2. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, म०प्र० उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) गुना
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय गुना
5. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम जिला न्यायाधीश, गुना
6. जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राघौगढ़/चांचौड़ा
7. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना
8. कलेक्टर, जिला गुना
9. पुलिस अधीक्षक, जिला गुना
10. प्रथम/तृतीय/पंचम/प्रथम अति०/द्वितीय अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना/ आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा
11. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना
12. प्रथम अति०/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड आरोन/राघौगढ़
13. प्रथम/द्वितीय/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चांचौड़ा
14. प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीशगण, गुना
15. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना
16. प्रशासनिक अधिकारी, कार्या० प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना
17. प्रभारी अधिकारी फाईलिंग रिसीविंग सेक्शन गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा
18. अध्यक्ष अभिभाषक संघ गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा
19. लोक अभियोजन अधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय गुना
20. लोक अभियोजक जिला गुना
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गुना (म०प्र०)

कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 16 दिनांक 21.08.2023 की प्रतिलिपि की प्राप्ति :-

<u>जावक क्रमांक</u>	<u>गुना, दिनांक 21.08.2023</u>	<u>हस्ताक्षर</u>
1.	प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की ओर माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय,(जिला गुना) म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु सादर प्रेषित।	
2.	माननीय रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।	
3.	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) गुना	
4.	प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय गुना	
5.	प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/सप्तम जिला न्यायाधीश, गुना	
6.	जिला न्यायाधीश, राघौगढ़/चांचौड़ा	
7.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना	
8.	कलेक्टर, जिला गुना	
9.	पुलिस अधीक्षक, जिला गुना	
10.	प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/प्रथम अति0/द्वितीय अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा	
11.	प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/ प्रथम अति0/द्वितीय अति0 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना	
12.	प्रथम/प्रथम अति0/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड आरोन/राघौगढ़	
13.	प्रथम/द्वितीय/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चांचौड़ा	
14.	प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीशगण, गुना	
15.	प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना	
16.	प्रशासनिक अधिकारी, कार्या0 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना	
17.	प्रभारी अधिकारी फाईलिंग रिसीविंग सेक्शन गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा	
18.	अध्यक्ष अभिभाषक संघ गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा	
19.	लोक अभियोजन अधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय गुना	
20.	लोक अभियोजक जिला गुना	

कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 08 दिनांक 29.04.2023 की प्रतिलिपि की प्राप्ति :-

जावक क्रमांक 560 गुना, दिनांक 29.04.2023

हस्ताक्षर

1. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की ओर माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय, (जिला गुना) म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित।
2. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) गुना
4. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय गुना
5. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/सप्तम जिला न्यायाधीश, गुना
6. जिला न्यायाधीश, राघौगढ़/चांचौड़ा
7. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना
8. कलेक्टर, जिला गुना
9. पुलिस अधीक्षक, जिला गुना
10. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/ अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा
11. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/ प्रथम अति0/द्वितीय अति0 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना
12. प्रथम/प्रथम अति0/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड आरोन/राघौगढ़
13. प्रथम/द्वितीय/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चांचौड़ा
14. प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीशगण, गुना
15. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला न्यायाधीश, गुना
16. प्रशासनिक अधिकारी, कार्या0 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना
17. प्रभारी अधिकारी फाईलिंग रिसीविंग सेक्शन गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा
18. अध्यक्ष अभिभाषक संघ गुना/आरोन/राघौगढ़/चांचौड़ा
19. लोक अभियोजन अधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय गुना
20. लोक अभियोजक जिला गुना

कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 08 दिनांक 29.04.2023 की प्रतिलिपि की प्राप्ति :-

जावक क्रमांक 560 गुना, दिनांक 29.04.2023

हस्ताक्षर

1. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर
2. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर
3. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) गुना
4. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय गुना
5. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना
6. द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना
7. तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना
8. चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना
9. पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना
10. सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गुना
11. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, राघौगढ़
12. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चांचौड़ा
13. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना
14. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना
15. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना
16. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना
17. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना
18. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, गुना
19. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आरोन
20. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड राघौगढ़
21. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड राघौगढ़
22. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड चांचौड़ा
23. अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड चांचौड़ा
24. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना
25. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना
26. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना

27. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना
28. प्रथम अति० व्य० न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना
29. द्वितीय अति० व्य० न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गुना
30. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड आरोन
31. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राघौगढ़
32. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राघौगढ़
33. प्रथम अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड राघौगढ़
34. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चांचौड़ा
35. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चांचौड़ा
36. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला न्यायाधीश, गुना
37. प्रशासनिक अधिकारी, कार्या० प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना
38. प्रभारी अधिकारी फाईलिंग रिसीविंग सेक्शन गुना / आरोन / राघौगढ़ / चांचौड़ा
39. अध्यक्ष अभिभाषक संघ गुना / आरोन / राघौगढ़ / चांचौड़ा
40. कलेक्टर, जिला गुना
41. पुलिस अधीक्षक, जिला गुना
42. लोक अभियोजन अधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय गुना
43. लोक अभियोजक जिला गुना